बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

<u>संकल्प</u>

<u>विषय</u>– राज्य में पूर्व से स्थापित तथा नए स्थापित होने वाले अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (APHCs) एवं स्वास्थ्य उपकेन्द (ग्रामीण एवं शहरी) को हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर के रूप में क्रियाशील करने एवं इन चिन्हित हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर बारह प्रकार के पूर्व में चिन्हित Comprehensive Primary Health Care (प्रारंभिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं) को उपलब्ध कराते हुए Health & Wellness Centers का क्रियान्वयन किये जाने की स्वीकृति।

आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से Health Sub Centres, Additional Primary Health Centres एवं Urban Primary Health Centres को Health & Wellness Centres (HWCs) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

2. इस योजना का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर आम जनता को उनके घर के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना है। इस क्रम में स्वास्थ्य संस्थानों की संरचना में प्रथम सम्पर्क के रूप में कार्यरत Health Sub Centres, Additional Primary Health Centres एवं Urban Primary Health Centrè को Health & Wellness Centres के रूप में विकसित किया जाना है। इन हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर में निम्नांकित बारह प्रकार की व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जाऐंगी:–

(i) मातृ स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ जहाँ सामान्य प्रसव की सुविधा उपलब्ध हो :–
(ii) नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ :–
(iii) बालावस्था एवं किशोर स्वास्थ्य देखभाल तथा प्रतिरक्षण सेवाएँ :–
(iv) परिवार नियोजन एवं गर्भनिरोधक सेवाएँ :–
(v) राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुसार संचारी रोगों का प्रबंधन :–
(vi) संचारी रोग, सामान्य outpatient बीमारियों का प्रबन्धन :–
(vii) गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग एवं सामान्य प्रबन्धन :–
(viii) नेत्र एवं ई0एन0टी0 से संबंधित सामान्य स्वास्थ्य सेवाएँ :–
(ix) मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों की स्क्रीनिंग एवं सामान्य प्रबंधन :–
(x) दन्त देखभाल से संबंधित सामान्य सेवाएँ :–
(xi) वृद्धावस्था & Palliative स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ :–
(xii) आपातकालीन स्वास्थ्य सेवायें :–

3. योजना पर होने वाले व्यय का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश और राज्यांश की सम्मिलित राशि से 60:40 के अनुपात में किया जायेगा। इस योजना हेतु राशि बजट शीर्ष–3104 (सहायक अनुदान, वेतन मद), बजट शीर्ष 3105 (सहायक अनुदान परिसंपतियों का निर्माण), बजट शीर्ष 3106 (सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. इस योजना के क्रियान्वयन एवं राशि का व्यय निम्नवत् की जायेगी :–

(i) वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 534 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उप केन्द्र/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में विकसित करने हेतु प्रति सेंटर रू0 17.5 लाख की औसत दर से व्यय की जायेगी।

(ii) वर्ष 2018–19 में कुल 232 नए हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर का निर्माण मानक डिजाइन के अनुरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत इस मद में प्राप्त राशि से की जायेगी।

(iii) राज्य में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर को कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप आगे सभी नीतिगत निर्णय लेने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय को प्राधिकृत किया जायेगा।

(iv) राज्य में पूर्व से स्थापित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर पूर्व से कार्यरत दो ए0एन0एम0 के अतिरिक्त एक Mid Level Health Provider (Grade A Nurse/ Ayurveda Practitioner (MLHP) जिनके द्वारा IGNOU से छः माह का Certificate in Community Health का कोर्स पूरा किया हो को पदस्थापित/प्रतिनियुक्त कर Comprehensive Primary Health Care सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत कुल 15,627/– लाख रूपये के व्यय (केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत) किया जाना है।

9. अतः राज्य में पूर्व से स्थापित तथा नए स्थापित होने वाले अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (APHCs) एवं स्वास्थ्य उपकेन्द (ग्रामीण एवं शहरी) को हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर के रूप में क्रियाशील करने एवं इन चिन्हित हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर बारह प्रकार के पूर्व में चिन्हित Comprehensive Primary Health Care (प्रारंभिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं) को उपलब्ध कराते हुए Health & Wellness Centers का क्रियान्वयन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 12/प0–क0–09–25/2018 884(12)/पटना, दिनांक – 09/10/18........

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–25/2018– /पटना, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–25/2018 /पटना, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–25/2018 /पटना, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–25/2018 /पटना, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–13.09.2018 में मद संख्या–24 के आलोक में की गई कार्रवाई के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–25/2018–880(12) **/पटना, दिनांक** 09/10/**2018**

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5.10.2018

सरकार के प्रधान सचिव।